10. राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति

संघ की कार्यपालिका के शीर्ष पर राष्ट्रपति पदासीन है। अनुच्छेद 53में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नीहित होगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से एक निर्वाचकगण द्वारा होगा।

निर्वाचकगण में होंगे

- दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
- राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य।

राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता

- भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या उक्त सरकारों में से किसी के नियन्त्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो।
- लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो।
- पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- भारत का नागरिक हो।

निर्वाचन की रीति

राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। मतदान गुप्त होगा। इस पद्धति में जो प्रत्याशी 50% से अधिक मत प्राप्त करेगा, वह विजयी घोषित किया जायेगा।

मतदाता अपना अधिमान इंगित करता है अर्थात वह मतदान पत्र में प्रत्याशियों के नाम के आगे 1, 2, 3, 4 आदि लिखकर अपना अधिमान प्रकट करता है।

जब कोई प्रत्याशी कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसके अतिरिक्त मत अन्य प्रत्यशियों को अंतरित हो जाते है। इस प्रक्रिया के कारण ही इसे एकल संक्रमणीय मत कहते है।

राष्ट्रपति द्वारा शपथ

राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है। अपनी शपथ में राष्ट्रपति वचन देता है-

- उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है।
- संविधान व कानून का पालन सुरक्षा व रक्षा करेगा।
- वह अपने पद के प्रति वफादार रहेगा।
- स्वयं को भारत के लोगों की सेवा व कल्याण करने में समर्पित करेगा।

राष्ट्रपति के पद की शर्तें

संविधान द्वारा राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित शर्तें रखी हैं-

- वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा।
- उसके वेतन व भत्तों को उसके कार्यकाल में घटाया नहीं जा सकता।
- उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास (राष्ट्रपति भवन) आबंटित होगा।
- वह किसी लाभ के पद पर न हो।
- उसे संसद द्वारा निर्धारित लाभ, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।

2008 में संसद ने राष्ट्रपति का वेतन 50000 से 150,000 रुपए प्रतिमाह तथा पेंशन 3 लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 9 लाख रु. प्रतिवर्ष कर दी है। राष्ट्रपति को अनके विशेषाधिकार प्राप्त हैं। वह अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी कानूनी जिम्मेदारियों से मुक्त होता है। अपने कार्यकाल के दौरान वह किसी भी आपराधिक कार्यवाही से मुक्त होता है यहां तक कि व्यक्तिगत क्रिया से भी। वह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, न ही जेल भेजा जा सकता है, हालांकि दो महीने के नोटिस देने के बाद उसके कार्यकाल में उस पर उसके कार्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है।

कार्यकाल, महाभियोग व पद-रिक्तता

राष्ट्रपति का कार्यकाल

राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है हालांकि वह अपने कार्यकाल की अवधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अतिरिक्त उसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग चलाकर भी उसके पद से हटाया जा सकता है।

जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले राष्ट्रपति अपने पांच वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है।

राष्ट्रपति पर महाभियोग

राष्ट्रपति पर 'संविधान का उल्लंघन' करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान ने 'संविधान का उल्लंघन' वाक्य को परिभाषित नहीं किया है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। इन आरोपों पर सदन के एक चौथई सदस्यों (जिस सदन में आरोप लगाए गए हैं) के हस्ताक्षर होने चाहियें और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व का नोटिस देना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव दो-तिहाई बहुमत से पारित होने के पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जाता है, जो इन आरोपों की जांच करता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह इस जांच में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को दो-तिहाई बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटा दिया जाता है।

इस प्रकार महाभियोग संसद की एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य हैं–

- संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, इस प्रस्ताव में भाग ले सकते हैं। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है।

राष्ट्रपति के पद की रिक्तता

राष्ट्रपति का पद निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है-

- उसके त्यागपत्र देने पर,
- उसकी मृत्यु पर,
- महाभियोग प्रस्ताव द्वारा उसे पद से हटाने पर,
- पांच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर,
- अन्यथा, जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के आयोग्य हो अथवा निर्वाचन अवैध घोषित हो।

यदि पद रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तो उस पद को भरने हेतु उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए।

यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अन्यथा किसी अन्य कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से छह महीने के भीतर कराना चाहिए। नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पांच वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किन्हीं कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश (अथवा उसके भी पद रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश) कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उसके कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। जब कोई व्यक्ति, जैसे-उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है तो उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों व विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं तथा वह संसद द्वारा निर्धारित सभी वेतन, भत्ते व विशेषाधिकार भी प्राप्त करता है।

राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्त्तव्य

राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां व कर्त्तव्य निम्नलिखित हैं-

- आपातकालीन शक्तियां
- विधायी शक्तियां
- न्यायिक शक्तियां।
- कूटनीतिक शक्तियां
- वित्तीय शक्तियां
- सैन्य शक्तियां।
- कार्यकारी शक्तियां।

कार्यकारी शक्तियां

राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां व कार्य हैं-

- वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है।

  वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करता है। महान्यायवादी, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यत अपने पद पर कार्य करता है।
- वह भारत के महानियंत्रक व लेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है।
- भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं।
- वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तथा वे उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं।
- वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्रशासित राज्यों का प्रशासन कर सकता है।
- वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े

वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है।

विधायी शक्तियां

राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है तथा उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त हैं-

- यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा के सभापति व उपसभापति दोनों का पद रिक्त हों तो वह राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है।
- वह संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
- वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है।
- वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है।
- जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह-
  - विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है; अथवा
  - विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है; अथवा।
  - विधेयक को (यदि वह धन विधेयक नहीं है तो) संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा देता है।

  हालांकि यदि संसद विधेयक को बिना किसी संशोधन के पुन:पारित करती है तो राष्ट्रपति की अपनी सहमति देनी ही होती है।
- वह लोकसभा में दो आंग्ल-भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करता है।
- राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है तब राष्ट्रपति
  - विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है; अथवा
  - विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है; अथवा
  - राज्यापाल को निर्देश देता है कि विधेयक (यदि वह धन विधेयक नहीं है तो) को राज्य विधायिका को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। यह ध्यान देने की बात है कि यदि राज्यपाल विधेयक को पुन: राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजता है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है।
- वह महानियंत्रक व लेख परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखत है।
- वह संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है।

वित्तीय शक्तियां

राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां व कार्य निम्नलिखित हैं-

- वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है।
- वह वार्षिक वित्तीय विवरण (केंद्रीय बजट) को संसद के समक्ष रखता है।
- वह आकस्मिक निधि से, किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है।
- धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है।

न्यायिक शक्तियां

राष्ट्रपति की न्यायकि शक्तियां व कार्य निम्नलिखित हैं-

- वह क्षमादान कर सकता है, प्राणदंड को रोक सकता है अथवा और किसी दंड को क्षमा अथवा स्थगित कर सकता है अथवा निम्नलिखित अपराधों के अंतर्गत दोषी व्यक्ति की सजा को निलंबित कर सकता है अथवा सजा में बदलाव कर सकता है-
  - उन मामलों में, जिनमें सजा सैन्य न्यायालय में दी गई हो।
  - उन मामलों में, जिनमें दंड का स्वरूप प्राणदंड हो।
- वह उच्चतम न्यायालय से किसी कानून या तथ्य पर सलाह ले सकता है परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है।
- वह उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।

कूटनीतिक शक्तियां

अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञों जैसे-राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजता है एवं उनका स्वागत करता है।

सैन्य शक्तियां

वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस

संदर्भ में वह थल सेना, जल व वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह युद्ध अथवा शांति की घोषणा करता है किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार होता है।

आपातकालीन शक्तियां

उपरोक्त साधारण शक्तियों के अतिरिक्त संविधान ने राष्ट्रपति को निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियां भी प्रदान की है-

- राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद 352);
- राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356 तथा 365) एवं
- वित्तीय आपात (अनुच्छेद 360)।

राष्ट्रपति की वीटो शक्ति

संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं (अनुच्छेद 111 के अंतर्गत)-

- वह विधेयक (यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है) को संसद के पुर्नविचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुन: बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके, राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होती है।
- वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है; अथवा
- विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है; अथवा।

वर्तमान राज्यों के कार्यकारी प्रमुखों की वीटो शक्तियों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया गया है-

- पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना।
- विशेषित वीटो, जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त किया जा सके।
- निलंबनकारी वीटो, जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त किया जा सके।
- अत्यांतिक वीटो, अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना।

उपरोक्त चार में, भारत के राष्ट्रपति में तीन शक्तियां अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पाकेट वीटो निहित हैं।

अत्यांतिक वीटो

सामान्यत: यह वीटो निम्न दो मामलों में प्रयोग किया जाता है-

- व्यक्तिगत सदस्यों के संबंध में (अर्थात संसद का वह सदस्य जो मंत्री न हो, द्वारा प्रस्तुत विधेयक); और
- सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे (जब विधेयक पारित हो गया हो तथा राष्ट्रपति की अनुमति शेष हो) और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे। 1954 में, राष्ट्रपति डॉ, राजेन्द्र प्रसार ने पीईपीएसयू विधेयक पर अपना निर्णय रोककर रखा।

पुन: 1991 में, राष्ट्रपति डॉ. आर. वेंकटरमण द्वारा संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते व पेंशन (संशोधन) विधेयक को रोक कर रखा गया।

निलंबनकारी वीटो

राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुन: किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है।

पॉकेट वीटो

इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है, न तिरस्कृत करता है, और न ही लौटाता है परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। राष्ट्रपति की यह किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है।

सन् 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह द्वारा भारतीय डाक (संशोधन) अधिनियम के सदंर्भ में इस वीटो का प्रयोग किया गया। राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित अधिनियम प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा रहा था और इसकी अत्यधिक आलोचना हुई।

राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो

जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प (अनुच्छेद 201) होते हैं-

- वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा
- वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा
- वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक (यदि धन विधेयक नहीं है) को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचर हेतु लौटा दे। यदि राज्य विधायिका किसी संशोध

न के बिना अथवा संशोधन करके पुन: विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। इसका अर्थ है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती है।

अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति

संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन अध्यादेशों का प्रभाव व शक्तियां, संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती हैं परंतु ये स्वभाव से अल्पकालीन होते हैं।

यह शक्ति उसे अदृश्य व आकस्मिक स्थितियों से निपटने हेतु दी गई है परंतु इस शक्ति के प्रयोग में निम्नलिखित चार बाध्यताएं हैं-

- वह अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों अथवा दो में से किसी भी एक सदन का सत्र न चल रहा हो।
- वह तभी कोई अध्यादेश बना सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि कोई ऐसी परिस्थिति है जो तुरंत कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती हो। कपूर केस (1970) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- "राष्ट्रपति की संतुष्टि पर बुरे बर्ताव के आधार पर प्रश्नचिह्न लगाया जा सकता है।
- अध्यादेश जारी करने की उसकी शक्ति, केवल समयावधि को छोड़कर संसद की कानून बानने की शक्तियों के समान ही है।
- अध्यादेश केवल उन्हीं मुददों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है।
- अध्यादेश को वहीं संवैधानिक बाध्यताएं होती हैं जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती हैं। अत: एक अध्यादेश मौलिक अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता।
- संसद सत्रावसान की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद की पुन: बैठक होने पर दोनों सदनों के पटल पर रखा जाना चाहिए। यदि संसद उस अध्यादेश को पारित कर देती है तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है। यदि इस पर संसद कोई निर्णय नहीं लेती है तो संसद की दुबारा बैठक के छह हफ्ते पश्चात यह अध्यादेश मृतप्राय हो जाता है। यह अध्यादेश छह हफ्ते पूर्व भी समाप्त हो जाता है यदि संसद इसे अस्वीकार कर दे।

  किसी अध्यादेश को संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में, अधिकतम अवधि छह महीने और न्यूनतम अवधि छह हफ्ते की होती है। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। एक विधेयक की भांति एक अध्यादेश भी पश्चातदर्शी हो सकता है अर्थात इसे पिछली तिथि से प्रभावी किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनोखी है तथा अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों जैसे अमेरिका व ब्रिटेन में प्रयोग नहीं की जाती है।

राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति

संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिये गए हैं-

- केंद्रीय कानून के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में;
- सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में; और
- यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो।

राष्ट्रपति की इस शक्ति के दो रूप है- (अ) कानून के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए, (ब) यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कड़ा समझता है तो उसका बचाव पाने के लिए।

क्षमा

इसमें सजा व दोष दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सभी सजा, अयोग्यता व दंड को क्षमा कर दिया जाता है।

लघुकरण

इसका अर्थ है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। उदाहरणार्थ मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना।

परिहार

इसका अर्थ है, दंड के स्वभाव में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। उदाहरण के लिए दो वर्ष के कठोर कारावास को एक वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित करना।

विराम

इसका अर्थ है किसी दोषी को मूलरूप में दी गई सजा को किसी विशेष परिस्थिति में कम करना जैसे शारीरिक अपंगता अथवा महिलाओं को गर्भावस्था की अवधि के कारण।

प्रविलंबन

इसका अर्थ है किसी दंड (विशेषकर मृत्युदंड) पर अस्थाई रोक लगाना। इसका उद्देश्य है कि दोषी व्यक्ति का क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना। संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत 161 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल भी क्षमादान की शक्तियां रखता है। परंतु निम्नलिखित दो परिस्थितियों में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, राष्ट्रपति से भिन्न हैं-

- जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो, तो दूसरी याचिका नहीं दी जा सकती।
- राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता।
- राष्ट्रपति किसी दंड पर न सिर्फ इसलिए राहत दे सकता है कि वह अत्यधिक कठोर है बल्कि इसलिए भी कि प्रमाण में गलती है।

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का विभिन्न मामलों में अध्ययन कर निम्नलिखित सिद्धांत बनाए हैं-

- दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है।
- राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करेगा।
- राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
- राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं।

राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति

संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय है मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। अन्य शब्दों में, राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता व सलाह से करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की स्थिति है। वह राष्ट्र का प्रमुख होता है, पर कार्यकारी नहीं होता। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उस पर शासन नहीं करता है।

राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति की गणना करने पर, विशेष रूप से अनुच्छेद 53, 74 और 75 के प्रावधानों का संदर्भ लिया गया-

- मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी (अनुच्छेद 75)। यह प्रावधान संसदीय व्यवस्था की नींव है।
- राष्ट्रपति की सहायता तथा परामर्श के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रीपरिषद होगी वह संविधान के अनुसार अपने कार्य व कर्त्तव्य का उनकी सलाह पर निर्वहन करेगा (अनुच्छेद 74)।
- संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी तथा उसके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उसके अधीन अधिकारियों द्वारा संविधान के अनुसार प्रयोग की जाएगीं। (अनुच्छेद 53)-

यद्यपि राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक कार्य स्वतंत्रता नहीं है परंतु उसके पास कुछ परिस्थितीय कार्य स्वतंत्रता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में अपनी कार्य स्वतंत्रता का प्रयोग (बिना मंत्रिमंडल की सलाह पर) कर सकता है-

- वह मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है, यदि वह सदन में विश्वास मत सिद्ध न कर सके।
- वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है जब लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता अथवा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तथा उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो।
- वह लोकसभा को भंग कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया हो।

उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है।

निर्वाचन

राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को भी परोक्ष रूप से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। अतः यह निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों में भिन्न है-

- इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं (राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं)
- इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं (राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं)।

राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और मतदान गुप्त होता है।

योग्यताएं

उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु किसी व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं पूर्ण करनी चाहिएं-

- वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो।
- वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- वह राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो।

- वह भारत का नागरिक हो।

शपथ अथवा वचन

उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेनी अथवा वचना देना होता है। अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति वचन देता है कि-

- उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है।
- वह अपने पद और कर्त्तव्यों का निर्वाह पूर्ण ईमानदारी से करेगा।
- वह भारत के संविधान के प्रति पूर्ण वफादार और निष्ठावान रहेगा।

उपराष्ट्रपति के पद की शर्तें

संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति पद हेतु निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं-

- वह किसी लाभ के पद पर न हो।
- वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा।

कार्यकाल

उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होता है। हालांकि वह अपने कार्यकाल की अवधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उसे अपने पद से कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। (अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत) और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन का अग्रिम नोटिस न दिया गया हो। **ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में उसे हटाने हेतु कोई आधार नहीं है।**

पद रिक्तता

उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता हैं-

- उसकी मृत्यु पर।
- उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर।
- उसे बर्खास्त करने पर।
- उसके 5 वर्षीय कार्यकाल की समाप्ति होने पर।
- अन्यथा, उदाहरण के लिए, यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य हो अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो।

चुनाव विवाद

उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं व विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाएंगे जिसका निर्णय अंतिम होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती (अर्थात जब निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त हो)।

शक्तियां व कार्य

उपराष्ट्रपति के कार्य दोहरे होते हैं-

- जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम छह महीने की अवधि तक कार्य करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है।
- वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही होते हैं। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है, वह भी सीनेट (अमेरिका के उच्च सदन) का सभापति होता है।

पारिश्रमिक

संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए कोई पारितोषिक आदि की व्यवस्था नहीं है। वह राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन पाता है। सन् 2006 में राज्यसभा के सभापति का वेतन बढ़ाकर 1,25000 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वह दैनिक भत्ते, मुफ्त आवास, स्वास्थ्य व यात्रा आदि की सुविधाएं प्राप्त करता है।

उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाला वेतन नहीं पाता है, अपितु उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते आदि मिलते हैं।

Elections of the Presidents (1952-2012)

Sl. No.	*Election Year*	*Victorious Candidate*
1.	1952	Dr. Rajendra Prasad
2.	1957	Dr. Rajendra Prasad
3.	1962	Dr. S. Radhakrishnan
4.	1967	Dr. Zakir Hussain
5.	1969	V.V. Giri

6.	1974	Fakhruddin Ali Ahmed	6.	1974	B.D. Jatti
7.	1977	N. Sanjeeva Reddy	7.	1979	M. Hidaytullah
8.	1982	Giani Zail Singh	8.	1984	R. Venkataraman
9.	1987	R. Venkataraman	9.	1987	Dr. Shankar Dayal Sharma
10.	1992	Dr. Shankar Dayal Sharma	10.	1992	K.R. Narayanan
11.	1997	K.R. Narayanan	11.	1997	Krishna Kant
12.	2002	Dr. A.P.J. Abdul Kalam	12.	2002	B.S. Shekhawat
13.	2007	Ms. Pratibha Patil	13.	2007	Mohd. Hamid Ansari
14.	2012	Pranav Mukherjee	14.	2012	Mohd. Hamid Ansari

Elections of the Vice-Presidents (1952-2012)

Sl. No.	*Election Year*	*Victorious Candidate*
1.	1952	Dr. Radhakrishnan
2.	1957	Dr. S. Radhakrishnan
3.	1962	Dr. Zakir Hussain
4.	1967	V.V. Giri
5.	1969	G.S. Pathak

EduBull.com